राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 19.03.2020

समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलक्टर,
समस्त पुलिस आयुक्त/पुलिस अधीक्षक,
राजस्थान।

विषयः– कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के मध्यनजर विभाग के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने बाबत।

COVID-19 के संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 14.03.2020 एवं 18.03.2020 के द्वारा राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थान (विद्यालय, महाविद्यालय, मदरसे आदि) कोचिंग संस्थान, जिम, सिनेमाघर एवं थियेटर, समस्त पर्यटन स्थल, संग्रहालय, ऐतिहासिक स्मारक, किले, पशु हटवाडे, पार्क, खेल मैदान, चिडियाघर, स्पा, अभ्यारण्य, सार्वजनिक मेले, स्वीमिंग पूल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक केन्द्र आदि को दिनांक मार्च, 2020 तक बन्द रखे जाने के आदेश जारी किये गये है। उक्त आदेशों में मेडिकल, नर्सिंग एवं फार्मेसी कॉलजों को छूट प्रदान की गई है।

विभाग के संज्ञान में आया है कि कतिपय संस्थाओं द्वारा उक्त आदेशों की पूर्णतः पालना नहीं की जा रही है, जिससे COVID-19 के संक्रमण फैलने की प्रबल आशंका है।

अतः COVID-19 के संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों की कडाई से पालना सुनिश्चित करावें। ताकि COVID-19 के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। यदि किसी संस्थान द्वारा उक्त आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

19/03/20

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव